होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए विभिन्न श्रम नियमों अर्थात कारखाना अधिनियम, 1948 बागवानी श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम 1952 इत्यादि में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

भारत के संविधान के अन्तर्गत, महिलाओं को न केवल समानता का अधिकार दिया गया है बल्कि सरकार को महिलाओं के लिए सकारात्मक उपाय करने के भी अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं की सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अत्याचारों से सुरक्षा के लिए सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज (निषेध) अधिनियम 1961, स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम 1986, तथा सती (निवारण) अधिनियम 1987 जैसे महिला-विशिष्ट तथा महिलाओं से संबंधित कानून बनाए हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी तथा चण्डीगढ़ ने महिलाओं के प्रति अत्याचार सैलों की स्थापना की है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने 10 पुस्तिकाओं की शक्ल में कानूनी साक्षरता मैनुअल प्रकाशित किए हैं; जिनका उद्देश्य अल्प-साक्षर/नव-साक्षर निर्धन महिलाओं के कानूनी ज्ञान के स्तर में सुधार करना है ताकि उन्हें शोषण का मुकाबला करने के योग्य बनाया जा सके।

चूंकि महिलाओं के साथ हिंसा का संबंध समाज में उनके निम्न दर्जे से है, इसलिए सरकार (क) महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से संम्पन्न बनाने के लिए नोराड, स्टेप, सी सी इ वी टी, एस ई पी, ड्वाकरा जैसी प्रशिक्षण-सह-आयोत्पादन गतिविधियों जैसे विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। (ख) सकारात्मक कार्रवाई के एक विशेष उपाय के रूप में गैर-सरकारी संगठनों की मध्यस्थता के जरिए अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है। घरेलु बचत पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है। महिलाओं को संघठित करने और उनमें जागृति का विकास करने के लिए महिलाओं और बच्चों से संबंधित सेवाओं के संकेन्द्रण के लिए 'इन्दिरा महिला योजना' नामक एक स्कीम हाल ही में शुरू की गई है। (ग) कामकाजी महिला होस्टल, अल्पावधि गृह, शिशुगृह, परिवार परामर्श केन्द्र आदि जैसी समर्थन सेवाएं और (घ) महिलाओं के लिए जागृति विकास कार्यक्रम तथा उनके अधिकारों के बारे में सूचना का प्रसार। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रचार और अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्य नामक स्कीम गैर-सरकारी संगठनों के मार्फत कार्यान्वित की जा रही है। समाज में महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने तथा महिलाओं और लड़कियों के प्रति समाज के रवैये में परिवर्तन लाने के लिए मुद्रित और इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए भी प्रयास किए जाते हैं।

New regulations for processing new proposals in Engineering and Technology

2597. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether All India Council for Technical Education has recently finalised new regulations regarding processing of new proposals in Engineering and Technology under the AICTE Act, 1987; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) Yes, Sir. All India Council for Technical Education has issued Regulations for grant of approval for starting new technical institutions, introduction of courses or programmes and approval of intake capacity of seats for the courses or programmes, and these were published in the Gazette of India dated 23rd November, 1994.

(b) These Regulations include, among other things, the mechanism of application, scrutiny, assessment at various levels at the State/Union Territory, University, UGC, expert committees etc. in a decentralised, participative process to be completed in a prescribed time schedule.

Warning by IRRI of Phillipines on massive hunger, in Asian Countries

2598 SHRI S.S. SURJEWALA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the International Rice Research Institute, Phillipines have warned the Asian Countries about spectre of massive hunger in their countries;